उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-18/2016/सीपी 510/84-2-2016-सीपी 2/2009
लखनऊ : दिनांक : 22 अगस्त, 2016

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1)(1-क) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं :-

अनुसूची

क्र0 सं0	नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता	नियुक्त व्यक्ति की जन्म तिथि	पद का नाम
1	2	3	4
1	श्री विजय वर्मा पुत्र स्व0 रवि वर्मा 2/153, विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	15.09.1951	न्यायिक सदस्य (पूर्णकालिक)
2	श्री गोवर्धन यादव पुत्र श्री सिंहासन यादव, मकान नं0 327/9, जानकीपुरम, लखनऊ।	03.05.1965	गैर न्यायिक सदस्य (पूर्णकालिक)

2. राज्य आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त उपर्युक्त सदस्यगण उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 (यथा संशोधित) के नियम 6(1)(क) एवं 6(1)(ग) में प्रावधानित मानदेय एवं मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगें तथा शासनादेशानुसार वाहन भत्ता भी प्राप्त करेंगें।

आज्ञा से,

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या - 18/2016/सीपी 510(1)/84-2-2016-सीपी 2/2009 तद दिनांक

प्रतिलिपि - अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 22 अगस्त, 2016 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर राय)
अनु सचिव।

.....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या - 18/2016/सीपी 510(2)/84-2-2016-सीपी 2/2009 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वह कृपया उपर्युक्त नियुक्त राज्य आयोग के न्यायिक एवं गैर न्यायिक सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में प्रावधानित परिवचन प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(4) जिलाधिकारी, लखनऊ।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।

(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।

(9) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(10) संबंधित सदस्यगण (द्वारा रजिस्टर्ड डाक)।

(11) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)

(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Upbhokta Sanrachan Evam Bant Map Anubhag -2
No.18 /2016/C.P 510/ 84-2-2016-C.P. 2/2009
Lucknow : Dated : 22 August, 2016

Notification

In Pursuance of the Provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 18 /2016/C.P 510/ 84-2-2016-C.P. 2/2009 dated 22 August, 2016

No.18 /2016/C.P 510/ 84-2-2016-C.P. 2/2009
Lucknow :: Dated :: 22 August, 2016

In exercise of the powers under Section-16 of the Consumer Protection Act (Act no. 68 of 1986), the Governor on recommendation of the selection committee constituted under subsection (1)(1A) of the said Section, is pleased to appoint following persons to the office of the Member with effect from the date of their taking over charge for five years or upto the age of 67 years which ever is earlier in the State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttar Pradesh, Lucknow.

2- Registrar, State Consumer redressal Commission, U.P. Lucknow shall ensure that relevant papers regarding eligibility as given in the advertisement and character verification certificate from District Magistrate/Superintendent of Police of the persons appointed are duly scrutinized before joining.

S. No.	Name & Address of the person appointed	Date of Birth of the person appointed	Name of the Post
1	Sri Vijai Verma S/o Late Sri Ravi Verma, 2/153 Vipual Khand, Gomtinagar, Lucknow	15.09.1951	Judicial Member (Whole Time)
2	Sri Govardhan Yadav S/o Sri Singhasan Yadav, House No. 327/9, Jankipuram Lucknow	03.05.1965	Non Judicial Member (Whole Time)

2. The above appointed members of State Commission will be entitled to get the honorarium and house rent allowance as prescribed in Rule 6(1)(a) and 6(1)(c) of the U.P. Consumer Protection Rules-1987 (as amended) and will also get conveyance allowance, according to Government orders.

By Order,

Sudhir Garg
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।